

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025

28(७५८) / खाद्य,पटना, दिनांक-19/09/2025

प्रेषक,

मो0 नैययर इकबाल  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन,  
पटना, बिहार।

विषय :-

मुख्यशीर्ष-3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड 18-3456000010002 अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रावधानित राशि से वित्त विभाग के पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025, पत्रांक-227/वि0 दिनांक-28.03.2025, पत्रांक-600 दिनांक-06.08.2025 एवं पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेशों के अनुपालन में निम्नांकित तालिका के अनुसार राशि आवंटित किया जाता है :-

तालिका

| क्र0 | विस्तृत शीर्ष           | विषय शीर्ष                                      | आय व्यय उपबंध/<br>पुनरीक्षित उपबंध | आवंटित राशि |
|------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1    | 2                       | 3                                               | 4                                  | 5           |
| 1    | 01 वेतन                 | 0002.01 01 वेतन                                 | 59,02,22,000                       | 00          |
|      |                         | 0002.01 03 जीवन यापन भत्ता                      | 36,59,38,000                       | 00          |
|      |                         | 0002.01 04 मकान किराया भत्ता                    | 5,90,23,000                        | 00          |
|      |                         | 0002.01 05 परिवहन भत्ता                         | 1,36,00,000                        | 00          |
|      |                         | 0002.01 06 चिकित्सा भत्ता                       | 1,05,96,000                        | 00          |
|      |                         | 0002.01 07 अन्य भत्ता                           | 10,00,000                          | 00          |
|      |                         | योग-18-3456.00.001.0002.01-वेतन                 | 1,04,03,79,000                     | 00          |
| 2    | 06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 0002.06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति                 | 30,00,000                          | 00          |
|      |                         | योग-18-3456.00.001.0002.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति | 30,00,000                          | 00          |
| 3    | 11 यात्रा व्यय          | 0002.11 01 यात्रा व्यय                          | 67,00,000                          | 00          |
|      |                         | योग-18-3456.00.001.0002.11-यात्रा व्यय          | 67,00,000                          | 00          |
| 4    | 13 कार्यालय व्यय        | 0002.13 01 कार्यालय व्यय                        | 1,05,00,000                        | 00          |
|      |                         | 0002.13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव             | 4,00,000                           | 00          |
|      |                         | 0002.13 03 दूरभाष                               | 2,00,000                           | 00          |
|      |                         | 0002.13 04 विद्युत प्रभार                       | 50,00,000                          | 00          |
|      |                         | 0002.13 05 विधि प्रभार                          | 3,00,000                           | 00          |
|      |                         | 0002.13 06 वर्दी/पोशाक                          | 00                                 | 00          |

|    |                                                  |                                          |             |          |
|----|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
|    |                                                  | 0002.13 10 भाडे की गाडी का भुगतान        | 3,00,00,000 | 00       |
|    | योग-18-3456.00.001.0002.13-कार्यालय व्यय         |                                          | 4,64,00,000 | 00       |
| 5  | 14 किराया महसूल एवं कर                           | 0002.14 01 किराया महसूल एवं कर           | 1,000       | 00       |
|    | योग-18-3456.00.001.0002.14-किराया महसूल एवं कर   |                                          | 1,000       | 00       |
| 6  | 16 प्रकाशन और मुद्रण                             | 0002.16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण            | 1,25,00,000 | 00       |
|    | योग-18-3456.00.001.0002.16-प्रकाशन और मुद्रण     |                                          | 1,25,00,000 | 00       |
| 7  | 20 अन्य प्रशासनिक व्यय                           | 0002.20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार | 5,00,000    | 00       |
|    | 20 अन्य प्रशासनिक व्यय                           | 0002.20 03 प्रशिक्षण व्यय                | 20,00,000   | 00       |
|    | योग-18-3456.00.001.0002.20-अन्य प्रशासनिक व्यय   |                                          | 25,00,000   | 00       |
| 8  | 21 सामग्री और पूर्तिया                           | 0002.21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ         | 50,00,000   | 00       |
|    | योग-18-3456.00.001.0002.21-सामग्री एवं पूर्तियाँ |                                          | 50,00,000   | 00       |
| 9  | 26 विज्ञापन और प्रकाशन                           | 0002.26 01 विज्ञापन और प्रकाशन           | 50,00,000   | 00       |
|    | योग-18-3456.00.001.0002.26-विज्ञापन और प्रकाशन   |                                          | 50,00,000   | 00       |
| 10 | 28-व्यवसायिक सेवायें                             | 00 02.28 02 संविदा सेवायें               | 1,50,00,000 | 5,00,000 |
|    | योग-18-3456.00.001.0002.28 व्यवसायिक सेवायें     |                                          | 1,50,00,000 | 00       |
| 11 | 51 मोटर वाहन                                     | 0002.51 01 मोटरगाडी कार्यालय             | 1,000       | 00       |
|    | योग-18-3456.00.001.0002.51 मोटर वाहन             |                                          | 1,000       | 00       |

2. कुल 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये मात्र का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है, जो निम्नवत् है।

: ख :

| क्र० सं० | जिला कार्यालय का नाम             | विकित्सा प्रतिपूर्ति 06 01 | कार्यालय व्यय 13 01 | दूरभाष 13 03 | विद्युत प्रभार 13 04 | विधि प्रभार 13 05 | भाडे की गाडी का भुतान 13 10 | संविदा सेवाएँ 28 02 | योग      |
|----------|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| 1        | 2                                | 3                          | 4                   | 5            | 6                    | 7                 | 8                           | 10                  | 11       |
| 1        | विशिष्ट पदाधिकारी, अनुभाजन, पटना | 00                         | 00                  | 00           | 00                   | 00                | 00                          | 5,00,000            | 5,00,000 |
|          | कुल योग:-                        | 00                         | 00                  | 00           | 00                   | 00                | 00                          | 5,00,000            | 5,00,000 |

3. उक्त व्यय का वहन मुख्यशीर्ष-3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड सं०-18-3456000010002 अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा।

4. वित्त विभाग के पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025, पत्रांक-227/वि० दिनांक-28.03.2025, पत्रांक-600 दिनांक-06.08.2025 एवं पत्रांक-2561/वि० दिनांक-17.04.1998 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। स्थापना प्रतिबद्ध व्यय मदों में व्यय पूरे वर्ष के लिए किये गये बजट उपबंध के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुए किया जायेगा। महालेखाकार से व्यय का नियमित रूप से मिलान कराया जाय तथा निकासी के समय वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का पालन किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटन के राशि अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का भी उल्लेख कराना होगा जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय नहीं हो सकने वाली राशि का प्रत्यपण ससमय आवश्यक कर दिया जाए।

6. वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय के पश्चात् व्ययित राशि का व्यय प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
7. आवंटन प्रस्ताव/प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव। 19/9/25

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025 28 (बजट) / खाद्य, पटना, दिनांक- 19/09/2025  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 19/9/25

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025 28 (बजट) / खाद्य, पटना, दिनांक- 19/09/2025  
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 19/9/25

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-01/2025 28 (बजट) / खाद्य, पटना, दिनांक- 19/09/2025  
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव। 19/9/25

फिर